न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 121/2013 निर्णय दिनांकः– 15.5.25
(जीसीएमएस संख्या 2013/00010)

1. रजबूद्दीन पुत्र निजामदीन जाति मुसलमान निवासी पंजाबगीर मौहल्ला तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. सदीक पिसरान निजामदीन जाति मुसलमान निवासी पंजाबगीर मौहल्ला तहसील व जिला बीकानेर।
2. कल्लू पिसरान निजामदीन जाति मुसलमान निवासी पंजाबगीर मौहल्ला तहसील व जिला बीकानेर।
3. मन्नू उर्फ हनीफ पिसरान निजामदीन जाति मुसलमान निवासी पंजाबगीर मौहल्ला तहसील व जिला बीकानेर।
4. जाकीर पिसरान निजामदीन जाति मुसलमान निवासी पंजाबगीर मौहल्ला तहसील व जिला बीकानेर।
5. जिया पिसरान निजामदीन जाति मुसलमान निवासी पंजाबगीर मौहल्ला तहसील व जिला बीकानेर।
6. शायरी पिसरान निजामदीन जाति मुसलमान निवासी पंजाबगीर मौहल्ला तहसील व जिला बीकानेर।
7. सत्तार बानो पिसरान निजामदीन जाति मुसलमान निवासी पंजाबगीर मौहल्ला तहसील व जिला बीकानेर।
8. कालू पिसरान निजामदीन जाति मुसलमान निवासी पंजाबगीर मौहल्ला तहसील व जिला बीकानेर।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 16–05–2013
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बीकानेर के आदेश दिनांक 16–05–2013 जिसके द्वारा अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भैरूखीरा के पुराना खसरा नम्बर 150/2 तादादी 85 बीघा भूमि अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 के स्व0 पिता निजामदीन की खातेदारी दर्ज रिकार्ड भूमि रही है। दौराने उपनिवेशन उक्त भूमि 78 बीघा 19 बिस्वा भूमि पैमूद हुई। उक्त भूमि का अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट के पिता को काश्तकार माना गया तथा जिसका अंकन खसरा गिरदावरियों में किया गया। संवत् 2032 में आराजी जैर की चकबन्दी होने पर उक्त भूमि चक 6 केएचएम में 79 बीघा फीट की गई। जिस पर अपीलांट् के पिता व वर्तमान में अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट्स का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। कालान्तर में मुरब्बा बन्दी होने पर उक्त भूमि चक 6 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 47/45 के किला नम्बर 24, 25 में 2 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 47/46 में किला नम्बर 3 ता 25 में 23 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 47/47 के किला नम्बर 2 व 3 में 2 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 47/53 में किला नम्बर 5 ता 8, 12 ता 24 कुल 18 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 47/54 में किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 12, 20 कुल 12 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 47/60 में किला नम्बर 21 ता 23 में 3 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 47/61 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 15, 17 ता 22 कुल 19 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 79 किला कमाण्ड भूमि पैमूद हुई। उक्त सम्पूर्ण भूमि अर्थात

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

79 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के बजाय तत्कालीन उपनिवेशन अधिकारी द्वारा केवल मात्र 41 बीघा 12 बिस्वा भूमि की खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये व शेष भूमि आराजीराज दर्ज रिकार्ड कर दिये जाने से अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस आधार एवं वादग्रस्त भूमि के पूर्ववर्ती रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष यह कथन किया गया था कि अपीलांट को दौराने वाद वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। परन्तु अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। यदि वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती है प्रकरण की वास्तविक स्थिति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करके न्याय की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के व बिना किसी जॉच के बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये आनन–फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के पूवजों के समय से भौतिक रूप से कब्जा काश्त की भूमि रही है। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विस्तृत विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट स्टेट वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर वादगत् भूमि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर अपीलांट का पूर्वजों के समय से भौतिक रूप से कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में होने से अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1991 पेज 468 व आरआरडी 1974 पेज 446 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलांट् को उसके कब्जे काश्त की भूमि पर खातेदारी प्रदान की जा चुकी है। अपीलांट् द्वारा जिस भूमि के खातेदारी अधिकारों की मांग की जा रही है उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत् तरीके से अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं होने अपीलांट् की अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

5. विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादगत् भूमि चक 6 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 47/45 के किला नम्बर 24, 25 में 2 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 47/46 में किला नम्बर 3 ता 25 में 23 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 47/47 के किला नम्बर 2 व 3 में 2 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 47/53 में किला नम्बर 5 ता 8, 12 ता 24 कुल 18 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 47/54 में किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 12, 20 कुल 12 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 47/60 में किला नम्बर 21 ता 23 में 3 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 47/61 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 15, 17 ता 22 कुल 19 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 79 किला कमाण्ड भूमि पैमूद हुई। उक्त सम्पूर्ण भूमि अर्थात 79 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के बजाय तत्कालीन उपनिवेशन अधिकारी द्वारा केवल मात्र 41 बीघा 12 बिस्वा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने एवं शेष भूमि 21 बीघा भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट के पूर्वजों के समय से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है चूंकि वादगत् भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है तथा मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया व विधि द्वारा सुस्थापित अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए बिन्दुत्रय प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर विचारण किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो अपील के अभिकथनों की पुष्टि करता हो। यह सही है कि 15 एएए के प्रार्थना पत्र निर्णित करते समय भूमि को रकबाराज करने के संबंध में विनिश्चय नहीं किया जा सकता है। परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाधीन अराजी में 79 बीघा भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में रही हो और सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा उसमें से 21 बीघा भूमि को रकबाराज किया हो। पत्रावली पर केवल नामान्तरण संख्या 66 की छायाप्रति उपलब्ध है। जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि इस नामान्तरण संख्या 66 के कॉलम संख्या 5 में कुल 41 बीघा 12 बिस्वा भूमि अंकित है। यह समस्त भूमि सहायक आयुक्त उपनिवेशन के आदेश क्रमांक 3363 दिनांक 29—12—87 की पालना में निजामदीन पुत्र अलारखा जाति पंजाबगीर निवासी बीकानेर के नाम दर्ज रिकोर्ड कर दी गई। इस सूरत में प्रथम दृष्टया मामला दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होता है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहा है। अपीलांट केवल मौखिक कथन के आधार पर अराजीराज वादगत् भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है। जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बीकानेर का आदेश दिनांक 16–05–2013 यथावत बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक $15\frac{05}{2025}$ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर